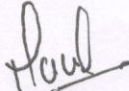


परियोजना का नाम:—मा०मु०घो०संख्या 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क-बरसूड़ी-भेरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण ।

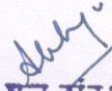
इस परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं०2724/III (2) / 15-05 (मा०मु०घो०) /2015दि० 24-04-2015 के अन्तर्गत ग्रामीण असंयोजित बसावटों को बारहमासी संपर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु उक्त मोटर मार्ग की 2.00 कि०मी० लम्बाई में स्वीकृति प्राप्तहुयी है, जिसकी धनराशी रु० 17.84 लाख है। उक्त मार्ग के संभरेखण में पड़ने वाली भूमि का विवरण निम्नवत् है।

क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	कुल क्षेत्रफल (है० में)
1	आरक्षित वन भूमि	शून्य	शून्य	शून्य
2	वन पंचायत भूमि (I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु	1300	7	0.910
	(II)मक डम्पिंग हेतु			0.285
3	क्यार्क-बरसूड़ी सिविल वन (I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु	100	7	0.070
	(II)मक डम्पिंग हेतु			0.075
	वनभूमि का योग:-	1400	—	1.340
4	नाप भूमि(I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु	600	9	0.540
	(II)मक डम्पिंग हेतु			0.031
	कुल योग:-	2000	—	1.911

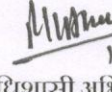
अतः वन भूमि प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं, ताकि वन भूमि हस्तान्तरण के पश्चात् मार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सके।


अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)


अतिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)